पुलिस थाना-बड़ागाँव, जनपद-वाराणसी कमिश्नरेट।

उत्तर प्रदेश, पिन नं0-221204

****

प्रेस नोट

महिला का पर्स चोरी करने वाले व चैन छिनैती करने वाले दो नफर वांछित अभियुक्तों को बड़ागाँव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व चोरी का पर्स व 400 रूपये नगद तथा अन्य सामान बरामद किया गया

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं श्रीमान पुलिस उपायुक्त गोमती जोन व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में दिनांक 15.09.2023 को श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के कुशल नेतृत्व में महिला का पर्स चोरी करने वाले दो नफर वांछित अभियुक्तों को बड़ागाँव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व चोरी का पर्स व 400 रूपये नगद तथा अन्य सामान बरामद किया गया

दिनांक 10.09.2023 को मोटरसाईकिल सवार दो बदमाशों द्वारा काजीसराय हरहुआ में ब्यूटी पार्लर की दुकान से महिला का पर्स चोरी कर भाग गये थे तथा दिनांक 28.05.2023 को हरहुआ बाजार में कास्मेटिक की दुकान से पता पूछने के बहाने एक महिला से चैन छीन कर भाग गये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वांछित दोनो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 15.09.2023 को मुखबिर खास द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया कि चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित दोनो अभियुक्त बुधवारी बाजार हरहुआ पंचकोसी रोड के पास खड़े है। इस सूचना पर श्रीमान थानाध्यक्ष बडागाव के निर्देशन में थाना बडागाव पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनो वांछित अभियुक्तों को समय करीब 05.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्तों के पास मौजूद चोरी व छिनैती का समान बरामद कर कब्जा पुलिस में लिया गया तथा घटना मे प्रयोग किये गये वाहन मोटरसाईकिल न0 UP65CD0725 को एमवी एक्ट मे सीज किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम पताः 1. शेरु अली उर्फ शेर पुत्र शाह मोहम्मद निवासी ग्राम काजीसराय, थाना बड़ागांव, वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष।

2. जावेद उर्फ ईमरान हाशमी उर्फ मेट्रो पुत्र सुबहान हाशमी निवासी ग्राम हरहुआडीह थाना बड़ागांव वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान – दिनांक 15.09.2023 समय करीब 05.10 बजे दिन में बुधवारी बाजार हरहुआ पंचकोसी रोड के पास थाना बडागाव जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।

पंजीकृत अभियोग जिसके अन्तर्गत गिरफ्तारी हुई है का विवरण –

मु0अ0स0- 0171/2023 धारा 392/411 भादवि थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।

मु0अ0स0- 0301/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।

बरामदगी का विवरण –

एक अदद चैन का टुकडा पीली धातु – सम्बन्धित मु0अ0स0- 0171/2023 धारा 392/411 भादवि
एक अदद लेडिस पर्स - मु0अ0स0- 0301/2023 धारा 379/411 भादवि
400/- रूपये नगद - मु0अ0स0- 0301/2023 धारा 379/411 भादवि
एक अदद आधार कार्ड - मु0अ0स0- 0301/2023 धारा 379/411 भादवि

अपराधिक इतिहास शेर अली –

01.मु0अ0स0-606/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी
02.मु0अ0स0- 116/2022 धारा 379,411 भादवि थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी
03.मु0अ0स0- 171/2022 धारा 379 ,411 भादवि थाना बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी
04.मु0अ0स0- 185/2022 धारा 379,411 भादवि थाना बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी
05.मु0अ0स0- 186/2022 धारा 379,41,411 भादवि थाना बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी

पूछताछ अभियुक्त – दोनो अभियुक्तो से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये कि दोनों ने मिल कर दिनांक 10/09/23 को सुबह करीब 08:30 बजे काजी सराय बाजार में ब्यूटीपार्लर की दुकान से उपरोक्त पर्स चोरी किया था जिसमें 400 , 01 आधार कार्ड, दुकान की चाभी, 01 मोबाईल तथा 01 अंगूठी मिली थी जिसमें से दोनो ने चाभी को राह में फेंक दिया था व मोबाईल तोड़कर फेंक दिया तथा अंगूठी 500 में राह चलते लोगों को बेचकर खाने पीने में खर्च कर दिये थे। बरामद चैन के टुकड़े के बारे मे पूछा गया तो बताये कि साहब दिनांक 28/05/23 को समय करीब 02 बजे दोपहर में मोटरसाइकिल से जिसे शेर अली चला रहा था तथा जावेद उर्फ इमरान हाशमी बैठा था जो हरहुआ बाजार में कस्मेटिक की दुकान पर पता पूछने के बहाने गया. और दुकान के सामने बैठी महिला के गले से सोने की चैन छीना और मोटरसाईकिल पर बैठ कर कोईराजपुर की तरफ भाग निकले थे।

पुलिस टीम का विवरणः

श्री राज कुमार पाण्डेय थानाध्यक्ष बड़ागाव
उ0नि0 श्री विवेक त्रिपाठी चौकी प्रभारी हरहुआ
उ0नि0 श्री मुनिशंकर वर्मा
उ0नि0 श्री प्रशान्त पाण्डेय
उ0नि0 श्री विशाल सिह
उ0नि0 श्री गौरव कुमार सिंह
हे0का0 अरमान आलम
का0 श्रवण कुमार
थाना बड़ागाँव जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।